



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252273
CG-DL-E-21022024-252273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945

No. 109]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 21 फरवरी, 2024

आय-कर

सा.का.नि. 120(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 83(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2024 में:-

- पृष्ठ सं. 1 पर, मद 1 में कोष्ठकों, अंको तथा शब्दों के लिए “(1) इन नियमों को आयकर नियम संशोधन, 2024 कहा जाएगा।”, कोष्ठकों, अंको तथा शब्दों को “(1) इन नियमों को आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024।” विस्थापन किया जाएगा;
- पृष्ठ सं. 22 पर, प्रपत्र आईटीआर-2 में, अनुसूची 80घघ, नया स्तंभ, “राशि(रू.)” को अंतर्वेष्टित किया जाएगा तथा तदनुसार अनुसूची 80घघ के लिए निम्नलिखित अनुसूची का विस्थापन किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची 80घघ	आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैर	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	राशि (रु.)
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4.पिता 5.माता 6.भाई 7.बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)";						

iii. पृष्ठ सं. 76 पर, प्रपत्र आईटीआर-3 में, अनुसूची 80 घघ में, नया स्तंभ " राशि(रु.)" को अंतर्वेष्टित किया जाएगा तथा तदनुसार अनुसूची 80घघ के लिए निम्नलिखित अनुसूची का विस्थापन किया जाएगा:—

अनुसूची 80घघ	आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैर	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	राशि (रु.)
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4.पिता 5.माता 6.भाई 7.बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)";						

iv. पृष्ठ सं. 76 पर, प्रपत्र आईटीआर-3 में, अनुसूची 80प में, नया स्तंभ " राशि(रु.)" को अंतर्वेष्टित किया जाएगा तथा तदनुसार अनुसूची 80प के लिए निम्नलिखित अनुसूची का विस्थापन किया जाएगा:—

अनुसूची 80प	अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा				
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख		फाइल किए गए प्ररूप 10।क	यूडीआईडी संख्या(यदि	राशि (रु.)

		की अभिस्वीकृति संख्या	उपलब्ध हो)	
1. स्वयं से निर्योग्यता				
2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता				

- v. पृष्ठ सं. 118 पर, प्रपत्र आईटीआर-5 में, अनुसूची सीजी में, पंक्ति ख, उपपंक्ति (1) मद (घ) में “54ड.ग/54छ/ 54छक” अंको, शब्दों तथा चिन्हों के लिए “54घ/54ड.ग/54छ/54छक” अंकों, शब्दों तथा चिन्हों का विस्थापन किया जाएगा;
- vi. पृष्ठ सं. 120 पर, प्रपत्र आईटीआर-5 में, अनुसूची सीजी में, पंक्ति ख, उपपंक्ति (10), निम्न तालिका मद (क), पंक्ति (ii) में, “54घ/54छ/54छक/54छख” अंको, शब्दों तथा चिन्हों को के स्थान पर “54घ/54छ/54छक” अंकों, शब्दों तथा चिन्हों का विस्थापन किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 22/2024 फा. सं. 370142/47/2023-टीपीएल]

पंकज जिंदल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi the 21st February, 2024

INCOME-TAX

G.S.R. 120(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 83(E), dated 31st January, 2024:—

- (i) at page number 148, in item 1, for the bracket, figures and words “(1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 2024.”, the bracket, figures and words “(1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2024.” shall be substituted;
- (ii) at page number 171, in Form ITR-2, in Schedule 80DD, a new column, “Amount (Rs.)” shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80DD, the following schedule shall be substituted, namely: —

“Schedule 80DD	Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability						
Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	UDID Number (If available)	Amount (Rs.)
1. Dependent person with disability	1. Spouse						
	2. Son						
	3. Daughter						
	4. Father						
	5. Mother						
2. Dependent person with severe disability	6. Brother						
	7. Sister						
	8. Member of the HUF (in case of HUF);						

- (iii) at page number 229, in Form ITR-3, in Schedule 80DD, a new column, “Amount (Rs.)” shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80DD, the following schedule shall be substituted, namely: —

“Schedule 80DD	Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability						
Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	UDID Number (If available)	Amount (Rs.)
1. Dependent person with	1. Spouse						
	2. Son						
	3. Daughter						

disability 2. Dependent person with severe disability	4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister 8. Member of the HUF (in case of HUF)”;						
--	--	--	--	--	--	--	--

- (iv) at page number 230, in Form ITR-3, in Schedule 80U, a new column, “Amount (Rs.)” shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80U, the following schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability			
Nature of disability		Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	UDID Number (If available)	Amount (Rs.)
1. Self with disability					
2. Self with severe disability”;					

- (v) at page number 271, in Form ITR-5, in schedule CG, in row B, in sub-row (1), in item (d), for the figures, letters and symbols “54EC/54G/54GA”, the figures, letters and symbols “54D/54EC/54G/54GA” shall be substituted;
- (vi) at page number 274, in Form ITR-5, in Schedule CG, in row B, in sub-row (10), in the table below item (a), in row (ii), for the figures, letters and symbols “54D/54G/54GA/54GB”, the figures, letters and symbols “54D/54G/54GA” shall be substituted.

[Notification No. 22/2024 F. No. 370142/47/2023-TPL]

PANKAJ JINDAL, Jt. Secy.